I/निगरानी/विदिशा/भू०रा०/2017/1798

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बिदिशा

1– शैतान सिंह पुत्र श्री गप्पूलाल
2– शम्भू सिंह पुत्र श्री गप्पूलाल
निवासीगण – ग्राम उकायला, पोस्ट बीलाढाना जिला बिदिशा (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती रजनी पुत्री श्रीराम पत्नी प्रवेश काछी, निवासी – ग्राम ईसाखेडी, पोस्ट भौंरासा तहसील कुरबाई, जिला–बिदिशा (म.प्र.)

–– अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 12.6.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.6.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/21/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, न्यायालय तहसीलदार बासौदा के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र ग्राम उकायला में स्थित भूमि आराजी नं. 57, 85, 87/5, 97, 98, 161, 266/530, 274 कुल किता 8 कुल रकवा 7.182 है0 भूमि के बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया था। जो तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ–27/2015–16 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 से पटवारी फर्द बंटान प्रदर्श पी–1 के अनुसार बंटवारा आदेश पारित किया।
2. यहकि, तहसीलदार बासौदा के आदेश के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बासौदा के समक्ष श्रीमती रजनी पुत्री श्रीराम अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 19/2015–16 प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 से स्वीकार की जाकर तहसीलदार बासौदा का आदेश दिनांक 03.02.2016 अपास्त किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I / निगरानी / विदिशा / भू0राज0 / 2017 / 1728

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01—9—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20—3—2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहखातेदार श्रीराम गुमशुदा है किन्तु किसी भी पक्षकार द्वारा उनकी सिविल डेथ के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नाधीन भूमि पैतृक है तथा जब तक श्रीराम की सिविल मृत्यु के संबंध में पक्षकार द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक श्रीराम का नाम खाते से पृथक नहीं किया जा सकता है। आवेदक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से करा सकते हैं। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत प्रतीत होता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	